न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 197/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2015/ 00020)

1.	ईशाक मोहम्मद उर्फ शक मोहम्मद	पिसरान अली मोहम्मद अकवाम (लबाणा गुर्जर) निवासीयान नवा तहसील व जिला हनुमानगढ।
2.	सुभान उर्फ सुभान मोहम्मद	

अपीलान्ट्स

बनाम

1. ऐशा बीबी पुत्री अली मोहम्मद पत्नी नूरनबी जाति मुसलमान निवासी कीकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. प्यारी उर्फ निशा पुत्री अली मोहम्मद पत्नी शमशेर अली जाति मुसलमान निवासी गाहडू तहसील व जिला हनुमानगढ।
3. ऐमना पुत्री अली मोहम्मद पत्नी सुबासादक जाति मुसलमान निवासी मीयांवाली ढाणी मेहरवाला तहसील टिबी जिला हनुमानगढ।
4. गुलाम फातमा पत्नी अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी नवां तहसील हनुमानगढ। (नाम हटाया गया (Delete) आदेश दिनांक 06.12.2022)
5. अतामोहम्मद उर्फ आता मोहम्मद पिसरान अली मोहम्मद अकवाम (लबाणा गुर्जर) निवासी नवा तहसील व जिला हनुमानगढ (फौत)

5/1 राजबीबी पत्नी 5/2 सद्दाम हुसैन पुत्र 5/3 गुलाम हुसैन पुत्र 5/4 प्रविणा बीबी पुत्री 5/5 नरीया पुत्री 5/6 सकिना पुत्री 5/7 बसीता पुत्री 5/8 विसता पुत्री 5/9 सुला बीबी पुत्री	स्व.अतामोहम्मद उर्फ आता मोहम्मद

6. मोहम्मद खां उर्फ मोहम्मद पिसरान अली मोहम्मद अकवाम (लबाणा गुर्जर) निवासी नवा तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. अरसा उर्फ अरसा बीबी पत्नी अलाबक्श जाति मुसलमान निवासी लखुवाली तहसील व जिला हनुमानगढ।

8.	हलीमा बीबी पत्नी जायदीन मोहम्मद	पिसरान अली मोहम्मद जाति मुसलमान लबाण गुर्जर नवां जिला हनुमानगढ।
9.	शाह मोहम्मद उर्फ शह मोहम्मद	

10. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः

1. श्री विनोद कुमार पुरोहित – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री करण सिह तंवर – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7
3. श्री चन्द्र शेखर छगाणी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 ता 5/9
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय दिनांकः 12.02.2024

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के अपील सं. 07/2014 निर्णय दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ऐशा बीबी व रेस्पोडेन्ट सं. 2 प्यारी उर्फ निशा ने अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में अपील पेश कर निवेदन किया किया कि तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ द्वारा चक 2 आर आर डबल्यू यू खाता संख्या 18/14 का इन्तकाल संख्या 841 दिनांक 17.01.2014 दर्ज किया गया है उनको निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ ने अपने निर्णय दिनांक 05.01.2015 द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 841 दिनांक 17.01.2014 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण को रिमाण्ड कर सभी वारिसानो को सुना जाकर नियमानुसार पुनः मुस्लिम–विधि अनुसार आदेश पारित करने का दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.01.2015 को खारिज करने का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो एवं लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि मुतनाजा भूमि चक 2 आर.आर.डब्ल्यू.के खसरा नं. 138/223 मुरब्बा नं. 78 किला नं. 21, खसरा नं. 137/233 मुरब्बा नं. 79 किला नं. 15, 16, 17, 18, 22 ता 25 वीधा, खसरा नं. 137/234 मुरब्बा नं. 82 किला नं. 2 ता 9, खसरा नं. 138/234 मुरब्बा नं. 83 किला नं. 1, 10, 11 खसरा नं. 138/235 मुरब्बा नं. 92 किला नं. 2, 3, 8, 9 कुल तादादी 6.072 हैक्टर स्थित है। उक्त भूमि अपीलान्ट के सगें पिता अली मौहम्मद पुत्र करमदीन की खातेदारी रही थी। उन्होने अपने जीवनकाल में एक रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.03.1992 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 ता 7 के नाम रूबरू गवाहान उप पंजीयक के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तस्दीक करवा दी गयी। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 10.01.2009 को हो गया, मृत्यु के दिन से ही उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 ता 7 के खातेदारी अधिकार निहित हो गये, वसीयत के अधिकार पर मिले अधिकारो को राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवाने हेतु अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार को प्रस्तुत किया। जिस पर तमाम कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.01.2014 को वसीयत के आधार पर इंतकाल स्वीकृत करने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश की पालना में इंतकाल सं. 841 दिनांक 17.01.2014 को स्वीकृत किया गया, उपरोक्त इंतकाल की अपील रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा अदातल मातहत मे प्रस्तुत करने पर बिना किसी कानूनी अधिकार के स्वीकार कर इंतकाल सं. 841 दिनांक 17.01.2014 को निरस्त कर दिया। तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा दिनांक 10.01.2014 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 5 ता 7 के पक्ष में इंतकाल स्वीकृत का आदेश प्रदान किया था, वही आदेश मूल आदेश था, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा मूल आदेश की अपील नही कर इस आदेश के पालना मे चढे इंतकाल सं. 841 की अपील की, जिस पर अदालत मातहत ने जो निर्णय प्रदान किया हुआ है वो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। इंतकाल की कार्यवाही एक फिस्कल कार्यवाही होती है। किसी भी काश्तकार को अपने खातेदारी अधिकारो का निर्धारण करवाना हो तो उसे राजस्व न्यायालय मे नियमित दावा प्रस्तुत कर ही अपने अधिकारो को घोषणा करवानी चाहिए। वसीयत को सही या गलत का निर्धारण का अधिकार केवल दिवानी न्यायालय को है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के द्वारा वसीयत को किसी भी सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी गई थी। यह तथ्य अदालत मातहत मे साबित थें। फिर भी अदालत मातहत ने अपीलाट के पक्ष में स्वीकृत इंतकाल को निरस्त कर दिया। नामान्तरण की कार्यवाही मे वसीयत को चुनौती नही दी जा सकती है। मुस्लिम विधि के तहत कोई भी व्यक्ति अपने ऋणो व अंतिम संस्कार के खर्चो के बाद अपनी किसी भी सम्पति के 1/3 हिस्से तक वसीयत कर सकता है। उक्त प्रकरण में अली मौहम्मद के पास उक्त वसीयत की गई भूमि के अलावा अन्य भूमि व रिहायसी मकान रहा है। सभी सम्पतियो के मूल्यो के 1/3 हिस्से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से भी कम मूल्य की भूमि रही है जो अपीलान्ट के पक्ष मे की गई है। इस कारण मुस्लिम विधि के अनुसार भी वसीयत वैध रही थी। इसके अलावा उपरोक्त वसीयत किए जाते समय सभी उत्तराधिकारियो की सहमति रही थी। साथ ही अता मोहम्मद जो अदालत मातहत मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 के रूप में संयोजित था, उनका स्वर्गवास आदेश जैर अपील दिनांक 05.01.2015 से पूर्व हो चुका था। अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है जो कानून की निगाह में शून्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05.01.2015 को खारिज किये जाने के आदेश फरमावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1981 पेज 320, RRD 1981 पेज 630, AIR 1977 SC पेज 113, RRD 1979 पेज 01 LB, RRD 1982 पेज 332 (B), RRD 1986 पेज 590, RRD 1990 पेज 479, 649, RRD 1992 पेज 360, RRT 2008 (1) पेज 241, RBJ 2021 पेज 532, RBJ 2021 पेज 532, RBJ 2018 पेज 713, AIR 1971 RAJ पेज 149, AIR 1971 PAT पेज 155, RBJ 2017 पेज 386, RRT 2002 (1) पेज 359, एवं मुस्लिम विधि–तैयबजी, पेज 755 का न्यायिक दृष्टांत पेश कियां।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7 के विद्वान अभिभाषक ने लिखित वहस प्रस्तुत कर अपीलान्ट की बहस का बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलान्ट ने द्वितीय अपील अपर जिला कलेक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 05.01.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है। द्वितीय अपील में प्रथम अपील कोर्ट तथा ट्रॅयल कोर्ट के आदेश की सत्यप्रति सलग्न करनी होती है, सत्यप्रति प्रस्तुत करना मेडेटरी प्रोविजन है। अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रथम अपील कोर्ट आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत की है मगर ट्रॅयल कोर्ट(तहसीलदार) के आदेश दिनांक 10.01.2014 की सत्यप्रति संलग्न नही की है, जो मूल आदेश था बल्कि उसके स्थान पर इन्तकाल सख्या 841 की सत्यप्रति प्रस्तुत की है। इंन्तकाल के मूल आदेश की अपील प्रस्तुत करने को मुद्दा अपील के स्तर पर उठाया जाना चाहिए था। जो उसने नही उठाया द्वितीय अपील मे यह मुद्दा नही उठाया जा सकता है। प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल यह मुद्दा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

था कि अपीलान्ट को सुने बगैर तहसीलदार द्वारा वसीसत के आधार पर इन्तकाल चढाया गया है जो विधि सम्मत नही है। प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिकारो का निस्तारण नही किया गया है बल्कि केवल मात्र तहसीलदार को यही निर्देश दिया गया है कि दोनो पक्षो को सुन कर मुस्लिम विधि के अनुसार ही आदेश पारित किया जावे, अतः अपील इस बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा महज अपनी बहस को लम्बा करने की नियत से यह मुद्दा उठाया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत की मेरिट पर कोई बात कही ही नही गई है तो यह मुद्दा इस प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट ही नही है। अपील खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के सम्बन्ध मे महज इतना ही कथन किया गया है कि कोई भी मुस्लिम 1/3 हिस्से से ज्यादा अपनी सम्पति की वसीयत नही कर सकता है। अपीलान्ट द्वारा महज अपील अदालत को गुमराह करने की नियत से किया कि अली मोहम्मद के धारण मे अन्य मकान बाड़ा व 14 बीधा जमीन रही है, जो एक वेग कथन है। अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह कि दोनो ही पक्षकार आपस मे सगें भाई बहन है, यदि प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान अता मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी तो यह तथ्य दोनो पक्षकारो को पता था ऐसी परिस्थिति मे उनके अधिवक्ता को न्यायालय मे अता मोहम्मद की सूचना देने चाहिए थी यह गलती है वर्तमान मे द्वितीय अपील मे अपीलान्ट की गलती है । अतः अपील इस बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय (तहसीलदार) के आदेश की सत्यप्रति प्रस्तुत की है इस आधार पर यह अपील डिफेक्टिव है मेन्टेनेबल नही है, खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 05.01.2015 के विरूद्ध पेश प्रस्तुत हुई है जिसमे इन्तकाल संख्या 841 दिनांक 17.01.2014 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया है। अपील मे मुख्य विवाद वसीयत का है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अली मोहम्मद द्वारा दिनांक 16.03.1992 को वसीयत उप पंजीयक के यहा पर तस्दीक करवाई गई है। तस्दीकसुदा वसीयत की परिवारजनो को लगभग 20 साल तक जानकारी नही होना स्वीकार्य तथ्य नही माना जा सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 के द्वारा वसीयत को किसी भी सिविल न्यायालय में लगभग 20 साल तक चुनौति दिए जाने का प्रमाण पत्रावली पर नही है। वसीयत कर्ता अली मोहम्मद की दिनांक 10.01.2009 को मृत्यु हो चुकी थी। दिनांक 10.01.2009 से लेकर वसीयत संबधी नामान्तकरण आदेश दिनांक 17.01.2014 तक फौतेदगी नामान्तकरण नही भरवाया जाना संदेह उत्पन्न करता है। वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 841 दिनांक 17.01.2014 स्वीकृत होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं 2 ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर दी गई। इसके साथ उक्त भूमि स्वअर्जित या पुश्तेनी होने का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवेचन किया जाना भी नही पाया गया। अतः उपरोक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 05.01.2015 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.01.2015 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 12.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर